उत्तर प्रदेश सरकार
सचिवालय प्रशासन अनुभाग–3 अधिष्ठान)
संख्या–5040/बीस–ई–3–2013–196 विविध)/09
लखन : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–6293/20–ई–5–88/94, दिनांक 03–09–1996 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सचिवालय टंकक सेवा नियमावली, 1996 और इस विषय पर किन्हीं अन्य नियमों और आदेशों का अधि मण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली, 2013

भाग–एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 से है ;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से है, जो अधिष्ठान का प्रभारी हो ;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

^घ> ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

^ड.> ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

^च> ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

^छ> ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

^ज> ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

^झ> ''सचिवालय'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय से है ;

^ञ> ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा से है ;

^ट> ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जहॉ तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

^ठ> ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. ^1> सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

^2> जब तक कि उपनियम ^1> के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है :

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थाई	अधिसंख्य
1	2	3	4
कम्प्यूटर सहायक	104 ^ये पद सचिवालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये निश्चित किये गये हैं>	22 ^ये पद सेवाकाल में मृत सचिवालय कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती के लिये निश्चित किये गये हैं>	80 ^ये पद सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये निश्चित किये गये हैं। जैसे और जब कभी स्तम्भ–2 में निर्दिष्ट मुख्य संवर्ग में कम्प्यूटर सहायक का कोई पद किसी भी कारण

			से रिक्त हो जाता है तो, कम्प्यूटर सहायक का अधिसंख्य पद धारण करने वाले पदधारी को मुख्य संवर्ग में कम्प्यूटर सहायक के उक्त रिक्त पद पर संविलीन कर दिया जाएगा और उसके द्वारा धारित कम्प्यूटर सहायक का अधिसंख्य पद समाप्त हो जाएगा।

परन्तु यह कि :–

^एक> किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

^दो> राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. 1> सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिये निश्चित किये गये कम्प्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अनुसरण में सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

^2> सेवा में सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये निश्चित कम्प्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :

(एक) मौलिक रुप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों, पदोन्नति द्वारा

(दो) मौलिक रुप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के

प्रथम दिवस को इस रुप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों, पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह कि, पर खंड (एक) और खंड (दो) के अधीन पदोन्नति के प्रयोजनार्थ पदों की संख्या की संगणना, सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये निश्चित किये गये पदों की कुल संख्या को क्रमशः 15:05 के अनुपात में विभाजित कर के की जाएगी।

भाग चार — अर्हताएं

राष्ट्रीयता 6. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियॉ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

7. कम्प्यूटर सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।

(दो) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'ओ' स्तरीय प्रमाण–पत्र अवश्य हो।

(तीन) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।

टिप्पणी – यदि किसी अभ्यर्थी के पास 'ओ' स्तरीय प्रमाण–पत्र नहीं है तो उसकी नियुक्ति विधारित नही की जाएगी और उसे इस शर्त पर नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह अपनी नियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अर्हता प्राप्त कर लेगा। इस बीच एक वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् उसे समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि और दो वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमन्य की जाएगी और तत्पश्चात् उसे उस समय तक समयमान में अग्रतर वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं की जाएगी जब तक वह उक्त अर्हता प्राप्त न कर ले। इस प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्तियों को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा अपेक्षित सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है जो 'ओ' स्तर का होगा।

अधिमानी अर्हता

8. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने ;

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

9. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

चरित्र

10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

12. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पॉच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

13. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया

14. सेवा में कम्प्यूटर सहायक के पद पर सीधी भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

15. 1ः पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन, सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदंड नियमावली, 1994, में दिये गये मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी :– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन समय–समय पर यथा–संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी मौलिक रुप से नियुक्त सचिवालय के हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(3) टंकण परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ;

परन्तु यह, कि जहां –

(क) भिन्न वेतनमान वाले दो या अधिक पोषक संवर्ग हों तो उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में पर रखा जाएगा;

(ख) समान वेतनमान वाले दो या अधिक पोषक संवर्ग हों तो अभ्यर्थियों के नामों को उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में व्यवस्थित किया जाएगा। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक समान हो तो ऐसी स्थिति में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को पात्रता सूची में पर रखा जाएगा।

(4) चयन समिति उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16 (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम–14 या 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों,

नियुक्तियाकृकरेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि उक्त संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा 17 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसको उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 18 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

ज्येष्ठता 19. सेवा में कम्प्यूटर सहायक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात – वेतन इत्यादि

वेतनमान 20. (1) सेवा में पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा

सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्नवत् दिया गया हैः

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
कम्प्यूटर सहायक	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतनमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहां विहित है वह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

22. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के ि याकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में

24. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से

शिथिलता किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेशों द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

व्यावृत्ति 25. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

ह0/–

(अरविन्द नारायण मिश्र)

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5040 /20-E-3-13-196(Mis.)/2009,dated 07 October, 2013 **:**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
SECRETARIAT ADMINISTRATION SECTION-3
(ESTABLISHMENT)
NOTIFICATION
Miscellaneous
No.5040 /20-E-3-13-196(Mis.)/2009
Dated Lucknow 07 October, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Uttar Pradesh Secretariat Typist Service Rules, 1996, published with Government notification no. 6293/20-E-5-88/94, dated September 3, 1996 and any other rules or orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Secretariat Computer Assistant Service :

THE UTTAR PRADESH SECRETARIAT COMPUTER ASSISTANT SERVICE RULES, 2013

PART – I – GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secretariat Computer Assistant Service Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Secretariat Computer Assistant Service is a service comprising Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government in the Secretariat Administration Department, who is the in-charge of the establishment;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively

appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(i) 'Secretariat' means the Uttar Pradesh Secretariat;

(j) 'service' means the Uttar Pradesh Secretariat Computer Assistant Service;

(k) 'substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART – II – CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :

Name of post	Number of posts		
	Permanent	**Temporary**	**Supernumerary**
1	**2**	**3**	**4**
Computer Assistant	104 (These posts are earmarked for the promotion of the Group 'D' employees of the Secretariat.)	22 (These posts are earmarked for the recruitment of dependents of Secretariat employees dying in harness)	80 (These posts are earmarked for the promotion of the Group 'D' employees of the Secretariat. As and when a post of Computer Assistant in the main cadre, referred to in column 2, falls vacant due to any reason, an incumbent holding the supernumerary post of Computer Assistant shall be absorbed on the said vacant post of Computer Assistant in the main cadre and the supernumerary post of Computer Assistant held by him shall stand abolished.)

Provided that :-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART – III – RECRUITMENT

Source of recruitment

5. (1) Recruitment to the posts of Computer Assistant in the service earmarked for the dependents of Secretariat employees dying in harness shall be made by direct recruitment in accordance with the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, as amended from time to time.

(2) Recruitment to the posts of Computer Assistant in the service earmarked for the promotion of the Group 'D' employees of the Secretariat shall be made from the following sources :

(i) By promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees of the Secretariat who have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and who possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting on Computer.

(ii) By promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees of the Secretariat who have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto who have

completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and who possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting on Computer:

Provided that for the purpose of promotion under clause (i) and clause (ii) above, the number of posts shall be computed by dividing the total number of posts earmarked for promotion of the Group 'D' employees of the secretariat in the ratio of 15:05 respectively.

PART – IV – QUALIFICATIONS

Nationality

6. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

7. A candidate for direct recruitment to the post of Computer Assistant must possess the following qualifications:

(i) Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(ii) Must possess 'O' level Certificate awarded by the DOEACC Society.

(iii) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting on Computer.

NOTE- In case a candidate does not possess the 'O' level Certificate his appointment shall not be withheld and he shall be appointed subject to the condition that he shall obtain the said qualification within a period of two years from the date of his appointment. Meanwhile he shall be allowed the first increment in the time-scale after successfully completing one year service and second increment after successfully completing two year's service and, thereafter, he shall not be allowed further increment in the time-scale till such time he has obtained the said qualification. For this purpose required in- service training to such persons may also be provided by the Secretariat Training and Management Institute which shall be of 'O' level.

Preferential qualification

8. A candidate who has :

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

9. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years .

Character

10. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

11. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

12. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance

of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART – V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

13. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment.

Procedure for direct recruitment

14. Direct recruitment to the post of Computer Assistant in the service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, as amended from time to time

Procedure for recruitment by promotion

15. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee For Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall require the High School Examination passed and Intermediate Examination passed substantively appointed Group 'D' employees of the Secretariat who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment to appear in the Hindi typewriting test on Computer.

(3) After the result of the typewriting test has been received and tabulated, the appointing authority shall prepare

eligibility list of the candidates who posses a minimum speed of twenty five words per minute in Hindi typewriting in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding cadres-

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing same pay scale, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of their date of substantive appointment in their respective cadres. But, if the date of substantive appointment of two or more candidates is the same, there in such situation the candidate who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.

(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in

sub-rule(3), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART – VI – APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

16. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 14 or 15 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

17. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is

granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

18. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(b) his integrity is certified.

Seniority

19. The seniority of persons substantively appointed to the post of Computer Assistant in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART -VII - PAY ETC.

Scale of pay

20. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows :

Name of post	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay(Rs.)
Computer Assistant	Pay Band - 1	5200-20200	2400

Pay during probation

21. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the

State.

PART – VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing

22. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

23. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

25. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special

categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

(Arvind Narain Mishra)
Secretary